



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2006/श्रावण 20, 1928

No. 899]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2006/SRAVANA 20, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

(आयकर)

का.आ. 1300(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का.43) की धारा 206 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रॉनिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :--

(1)(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रॉनिक विवरणी फाइल करना (संशोधन) स्कीम, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. स्रोत पर काटे गए कर की "इलेक्ट्रॉनिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2003 में",--

(क) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"8. किसी ई-फाइलिंग मध्यवर्ती के प्राधिकार को अनुचित आचरण, दुर्व्यपदेशन अनैतिक व्यवहार कपट या ई-कटौतीकर्ता को सेवा में साबित कमी पाए जाने या ऐसे अन्य आधारों पर जो वह ठीक समझे, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् प्रतिसंहत कर सकेगा।"

(ख) इस प्रकार संशोधित पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तुक बोर्ड, ई-फाइलिंग मध्यवर्ती के प्राधिकार को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना प्रतिसंहत नहीं करेगा।"

[अधिसूचना सं. 209/2006/फा. सं. 155/163/2005 टी पी एल]

डी. पी. सेमवाल, निदेशक (टी.पी. एल.-III)

टिप्पण :-स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रॉनिक विवरणी फाइल करना स्कीम, 2003 अधिसूचना सं.--का.आ. 974(अ) तारीख 26 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।